

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 1234/14-1

दिनांक, एटा, दिसम्बर 22, 2017

सेवा में,

महाप्रबन्धक सहपरियोजा निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
अलीगढ़।

विषय: एटा से अलीगढ़-कानपुर सैक्शन (एन0एच0-91) कि0मी0 186 से 229 तक 4 लेन चौड़ीकरण व सुदृढीकरण हेतु 65.495 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्ष व 858 पौधों कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्रांक- 1194/14-1 दिनांक 16.12.2017

विषयगत प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा क्र0सं0 1 से 7 तक आपत्तियों को निस्तारण हेतु सूचित किया गया था। इस कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण निम्नानुसार किया गया है:-

1. अनापत्ति क्रमांक-1 संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है।
2. अनापत्ति क्रमांक-2 पार्ट-2 में अपलोड वृक्षों की संख्या संशोधित कर दी गई है।
3. अनापत्ति क्रमांक-5 व 6 जिलाधिकारी द्वारा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र हेतु नोट शीट तैयार कर दी गई है। जिसे हस्ताक्षर हेतु भेजना है। उसके उपरान्त आपके द्वारा पार्ट-1 में अपलोड किया जाना है।
4. अनापत्ति क्रमांक-10 क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धी के0एम0एल0 फाइल में पॉलीगान पेन्ट किया गया है। अतः बिना पेन्ट की हुई के0एम0एल0 फाइल उपलब्ध कराये जिससे कि आपत्ति का निस्तारण किया जा सके।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ-साथ बिन्दु सं0 3 व 4 की भी के0एम0एल0फाइल शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि प्रस्ताव के उच्चाधिकारियों कसे समय से प्रेषित किया जा सके।

(ए0के0कश्यप)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक /14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(ए0के0कश्यप)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।